

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/विविध-7/2018/

दिनांक:

—:आदेश:—

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.14(7)चि.स्वा./2/2018 दिनांक 25.07.2018 के द्वारा निम्नलिखित फार्मासिस्टों का चयन औषधि नियंत्रण अधिकारी के पद किये जाने के फलस्वरूप इन्हें कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इनके लियन के संबंध में राजस्थान सेवा नियम-1951 का नियम 15 प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान
1	श्री लोकेश सिंह	एस. डी. एम. राजकीय जिला चिकित्सालय, बीकानेर
2.	श्री राजेश कटारा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर
3.	श्री ताराचन्द	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुरा माचेडी, जयपुर
4.	श्री प्रवीण चौधरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, श्री महावीरजी, करोली
5.	श्री अर्जुन लाल मीणा	हरिबक्स कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर
6.	श्री सांवरमल	आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिरानी भादरा, हनुमानगढ़
7.	श्री बलवीर सिंह	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर

—sd—
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 31/7/2018

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/विविध-7/2018/ 269

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि यदि इनके विरुद्ध किसी प्रकार की राक्षि अथवा सामान बकाया हो तो नियमानुसार वसूली कर कार्यमुक्त करें एवं निदेशालय को अवगत करावे:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
11. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर